लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतमनगर भोपाल–462021
दूरभाष : 91–755–2583650,फेक्स: 2583651,ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / विद्या / सू.क.स.यो / 2016–17 /3120 भोपाल दिनांक 24-12-16

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
4. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश
5. समस्त प्राचार्य, डाइट मध्यप्रदेश
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश
7. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश
8. समस्त प्राचार्य, हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश.

विषयः– भारत सरकार वित्त विभाग की योजना "सुकन्या समृद्धि योजना " के प्रचार प्रसार एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं उनके पालकों को योजना की जानकारी का प्रदाय ।

सन्दर्भः–भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर,2014

—00—

देश की बेटियों के भविष्य की आवश्यकताओं एवं उनकी समृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा "सुकन्या समृद्धि योजना "प्रारंभ की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की उच्चतर शिक्षा और विवाह के उद्देश्यों के लिये खाता धारक की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।

योजना अन्तर्गत 10 वर्ष तक आयु की बालिकाओं के बैंक खाते खोले जायेगे। खाता खोलने पर जमाकर्ता को एक बैक पास बुक दी जायेगी, जिसमें बालिका की जन्म तारीख,खाता खोलने की तारीख,खाता संख्या,खाता धारक का नाम व पता और जमा की गई धन राशि का विवरण होगा।

यह खाता 1000/– रूपये की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकेगा और इसमें 100 रूपये के गुणक में कोई रकम इस शर्त पर जमा की जा सकेगी की इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रूपये 1000/– एवं अधिकतम रूपये 150000/– जमा किये जा सकेंगे।

खाते में यह राशि खाता खालने की तारीख से बालिका की उम्र 14 वर्ष पूर्ण होने पर जमा की जा सकेगी, यदि किसी कारण से न्यूनतम राशि जमा नहीं की जा सकी है तो उस वर्ष के लिये जिसमें राशि जब नहीं की गई है, रूपये 50 प्रति वर्ष जुरमाने के रूप में जमा कर पुनः खाता 14 वर्ष पूर्ण होने के लिये नियमित कराया जा सकता है।

खाते को भारत वर्ष में कही भी अंतरित किया जा सकेगा एवं खाता धारक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, जैसे उच्चतर शिक्षा एवं विवाह आदि के लिये खाते में जमा राशि के 50 प्रतिशत की राशि वित्त वर्ष की समाप्ति पर निकाली जा सकेगी।

खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर यह खाता परिपक्व होगा। परन्तु यदि खाता धारक का विवाह 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले होता है तो उसके विवाह की तारीख के पश्चात खाता चलाने की अनुमति नहीं होगी। परिपक्वता पर खाते में जमा राशि और

ब्याज खाता धारक को देय होगा। "सुकन्या समृद्धि योजना " का व्यापक प्रचार प्रसार डाक घर एवं बैकों द्वारा किया जा रहा है।

उक्त योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को उपलब्ध हो सके इस हेतु विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को योजना से अवगत कराया जाये, ताकि वे भारत सरकार की उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके।

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / विद्या / सू.क.स.यो / 2016–17/3121 भोपाल दिनांक 24-12-16

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश